झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–910 वर्ष 2017

1. सुश्री थ्रेसियाम्मा वर्की उफ सीनियर मैरी थेरेसे, पुत्री–स्वर्गीय वर्की, निवासी–सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, गोलमुरी, डाकघर एवं थाना–गोलमुरी, टाउन–जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड।
2. सरोज कुमार सिंह, पे0 स्वर्गीय राम शरण सिंह, निवासी–हा0 सं0 187ए, जोन सं0 5, बिरसा नगर, गिट्टी मशीन के पास, इलेक्ट्रिक सेंटर, डाकघर एवं थाना–बिरसानगर, टाउन–जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड।
3. श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा, पे0 स्वर्गीय शिवजी सिन्हा, निवासी–ए + रोज 903, विजयगार्डन बारिडीह, डाकघर एवं थाना–बारिडीह, टाउन–जमशेदपुर, जिला–सिंहभूम पूर्व, झारखण्ड।
4. एस्थर मैरी, पुत्री–स्वर्गीय एंथोनी चार्ल्स, हाउस सं0 जी/18, रामदेव बागान, डाकघर एवं थाना–गोलमुरी, टाउन–जमशेदपुर, जिला–सिंहभूम पूर्व, झारखण्ड।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. झारखंड राज्य।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ), पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, डाकघर एवं थाना–बिस्टुपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची, झारखण्ड।
4. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची, झारखण्ड।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री एच0के0 महतो, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री एन0के0 महतो, एस0सी0 (खान) के जे0सी0

02 / 06.03..2017 कहा जाता है कि याचिकाकर्ता सं0–1 प्रधानाध्यापिका के रूप में 31.08.2011 को, याचिकाकर्ता सं0–2 सहायक शिक्षक के रूप में 29.02.2016 को, याचिकाकर्ता सं0–3 सहायक शिक्षक के रूप में 31.12.2010 को और याचिकाकर्ता सं0–4 चपरासी के रूप में 31.05.2012 को अपनी सेवाओं से प्रतिवादी–सेंट जोसेफ हाई स्कूल, गोलमुरी, जमशेदपुर से सेवानिवृत्त हुए थे। याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि प्रश्नगत स्कूल एक गैर–सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल है और स्कूल कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृति लाभों के भुगतान के लिए सभी खर्चों को राज्य सरकार द्वारा सरकारी खजाने से वित्त पोषित किया गया है। याचिकाकर्ता को महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी किया गया पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर पेंशन भी मिल रही है।

2. वर्तमान रिट आवेदन में, याचिकाकर्ताओं की शिकायत उसके खिलाफ बकाया अर्जित अवकाश पर छुट्टी नकदीकरण राशि का भुगतान न करने के संबंध में है। उन्होनें यह भी कहा है कि अन्य पोस्ट रिटायरल बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान सहायता से वेतन और सेवानिवृति के बाद लाभ का भुगतान किया गया है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि हालांकि, याचिकाकर्ताओं के दावे का पहले प्रतिवादी–राज्य सरकार द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन अब यह मुद्दा

मरियम तिर्की बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–506/2013 और 3 जनवरी, 2014 के अनुरूप मामले जो 2014 (1) जे0बी0सी0जे0 465 में रिपोर्ट किए गए हैं, के मामले में इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के मद्देनजर सुलझा लिया गया है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव टू अपील (सी) संख्या 20606–20607/2014 में दिनांक 15.12.2014 को पारित निर्णय द्वारा बरकरार रखा गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, विद्वान डिवीजन बेंच द्वारा पूर्वोक्त दिए गए निर्णय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई पुष्टि के मद्देनजर रिट याचिका का निपटारा उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि का भुगतान करने का निर्देश देकर किया जा सकता है।

4. उत्तरदाता–राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि गैर–सरकारी/सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि की स्वीकार्यता से संबंधित पूर्वोक्त मुद्दा अब मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया गया है, द्वारा तय किया गया है।

5. पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी सं0 2 को यह निर्देश देकर किया जा रहा है कि वह याचिकाकर्ताओं को उनके संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद छुट्टी नकदीकरण राशि प्रदान करने के मामले में उनके अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने

की तारीख से दस सप्ताह की अवधि के भीतर और मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय को देखते हुए निर्णय किया जाए।

6.. तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)